तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अखिलेश कुमार बनाम राज्य सरकार	
10/02/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी वापिस लिया जाता है। विस्तृत मिसल सूचक से निकाला जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 05/2024

1. अखलेश कुमार दीक्षित पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी भौंट तहसील उच्चैन।

..................प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।
2. जगदीश
3. पूरन
4. राजेन्द्र
5. रामस्वरूप पुत्रान भगवानसिंह जाति ब्राह्मण निवासी भौंट तहसील उच्चैन।

.................अप्रार्थीगण

अपील नामान्तरण अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन।

निर्णय   दिनांकः—10.02.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 276/0.09, 280/0.11, 290/0.07, 452/0.15, 454/0.02, 535/0.18, 542/0.14 वाकै ग्राम भौंट तहसील उच्चैन में स्थित है जिनके साविक खसरा नम्बर कमशः 255, 259/1, 269/2, 403/1, 402/3, 473/1, 478/2 है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 5 के पिता भगवान सहाय उर्फ भगवान सिंह की छोडी हुई आराजी है जो कि हम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को हमारे मृतक पिता भगवान सहाय उर्फ भगवान सिंह से जरिये विरासतन नामान्तरण संख्या 1591 दिनांक 13.12.2008 को प्राप्त हुई है तथा बाद नामान्तरण हम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त [illegible] काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के [illegible] में बोलचाल का नाम साहब सिंह दर्ज कर दिया गया था जबकि [illegible] मेरा नाम अखलेश कुमार दीक्षित है एवं मेरे पिता का नाम भगवान सहाय दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम साहब सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

पिता का नाम भगवान सिंह दर्ज है। पहचान दस्तावेजों एव जमाबंदी में भिन्न भिन्न नाम होने के कारण मुझ प्रार्थी को उक्त आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम होना पड रहा है। जब प्रार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु ई मित्र पर गया तो इसके सम्बन्ध में जानकारी हुई एवं जमाबंदी में नाम शुद्ध करवाने हेतु तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय से नाम शुद्धि हेतु आदेश लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तरण संख्या 1591 दिनांक 13.12.2008 में आंशिक संशोधन किया जाकर प्रार्थी का नाम साहब सिंह के स्थान पर अखिलेश कुमार दीक्षित पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राह्मण शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 5 जवाब पेश नहीं करना चाहते इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 5 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मुताबिक जांच वाके ग्राम भौंट के खसरा नम्बर 276,280,290,452,454,535,442 में नामान्तरण संख्या 1591 विरासत से भगवानसिंह पुत्र मंगतू से खातेदारी सुमन बेवा भगवानसिंह, जगदीश,रामस्वरूप,साहबसिंह,राजेन्द्र, पूरन पिस. भगवानसिंह जातियान ब्राह्मण के नाम खातेदारी दर्ज की गई थी तब से और आज दिनांक तक मुताबिक रिकार्ड के प्रार्थी खातेदार का नाम साहबसिंह पुत्र भगवानसिंह दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। प्रार्थी खातेदार अपना नाम राजस्व रिकार्ड में साहब सिंह के स्थान पर अखलेश कुमार करवाना चाहता है मौके पर ग्रामीणों से उक्त विषय में पटवार हल्का द्वारा जानकारी की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि साहबसिंह पुत्र भगवानसिंह और अखलेश कुमार पुत्र भगवानसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है मौके पर प्रार्थी खातेदार ने उक्त विषय के संबंध में स्वयं का अखलेश कुमार के नाम से शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम समस्त पहचान दस्तावेजों मे अखिलेश कुमार दीक्षित पुत्र भगवान सहाय दर्ज है। परन्तु गांव में आम बोलचाल की भाषा में प्रार्थी को साहब सिंह के नाम से पुकारा जाता था जिसके कारण प्रार्थी का नाम दौराने नामान्तरण सहाब सिंह दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जिसके कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी एवं अन्य अधिकारों से महरूम होना पड रहा है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर नामान्तरण संख्या 1591 दिनांक 13.12.2008 में आंशिक संशोधन किया जाकर प्रार्थी का नाम साहब सिंह के स्थान पर अखिलेश कुमार दीक्षित पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राह्मण शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिव[illegible] किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न जवाब पैरोकार सरका[illegible]जस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–2078, नामान्तरण संख्या 1591 [illegible] भौंट एवं अन्य सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया [illegible] अपील तहसीलदार उच्चैन के द्वारा खोले गये नामान्तरण संख्या 1591 दिनांक 13.02.20[illegible] के विरूद्ध पेश की गई है जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता में नहीं आता है। मेरे विनम्र मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested